न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 91 / 2016

वादी

1.चैनाराम पुत्र श्री जैसाराम जाति बावरी जाति निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी।

2.पवन पुत्र श्री जैसाराम उम्र 14 वर्ष नाबालिक जरीए संरक्षक कुदरती वली माता बसंती देवी पत्नि जैसाराम जाति बावरी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1.रामपाल पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी।

2.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी)।

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा धारा 88,55,188 राज. काश्तकारी अधिनियम1955

उपस्थित –श्री राजेश गुर्जर वादी की ओर से

निर्णय

दिनॉक :– 09/01/2017

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सीटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 / 89 रकबा 0.1675 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं. 1 की सहखाातेदारी की चली आ रही है। ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी में स्थित खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1675 हैक्टर में 1 / 3 वादी सं. 1 चैनाराम 0 1 / 3 वादी सं. 2 पवन व 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 रामपाल की शामलाती खातेदारी की दर्ज चली आ रही है। ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 / 89 रकबा 0.1675 हैक्टर वाद पत्र में वर्णित नजरी नक्शुनुसार मौके पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक ने आपसी सुविधानुसार बंटवारा कर रखा है। उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है नजरी नक्शानुसार वादीगण के हक–हिस्से की भूमि की अलग जोत कायम की जाने का है इसलिए यह भू–विभाजन कराकर Separate holding कायम किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश जा रहा है जिसके वादीगण अधिकारी है। पटवारी हल्का को वादीगण के हक–हिस्से की भूमि की अलग तस्दीक करने बाबत कहा तो प्रतिवादी की सहमति चाही। प्रतिवादी इतने दिन तो सहमति के लिए आश्वासन देते रहे अब साफ इंकार कर देने पर बमुकाम ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी में पेश हुआ है। इस्तदुआ वादीगण की इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 / 89 रकबा 0.1675 हैक्टर में से 0.11166 हैक्टर का वादीगण बहिस्सा के काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावे। कि ग्राम

....2....

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

मण्डावरा के खसरा नम्बर 811/89 रकबा 0.1675 हैक्टर भूमि में से वादीगण के हक–हिस्से की 0.11166 हैक्टर भूमि का सलंगन नजरी नक्शानुसार बंटवारा दर्ज करके अलग जोत कायम की जाने की आज्ञा तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद इतला प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–2072 ग्राम मण्डावरा की प्रस्तुत की तथा नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी ने निवदन किया है कि बंटवारा स्कीम तलब नही कर नजरी नक्शा मुताबिक डिक्री किया जावे। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2070 ग्राम मण्डावरा नामान्तरकरण संख्या 492 नि.दि.11.02.2016 न्याया. आदेश से खसरा नम्बर 89 मे से नवीन खसरा नम्बर 811/89 रकबा 0.1675 हैक्टर बा. 1 लगान 1.00 रू. चैनाराम पवन रामपाल पि. जैसाराम जाति बावरी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ व शेष ख.नं. 89 व 202 में चैनाराम पवन रामपाल का नाम हटाया गया इन्द्राज है। प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त नजरी नक्शा मुताबिक मौके पर चला आ रहा है एवं इसी अनुसार अपनी अपनी काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा मौके पर अपनी सुविधा अनुसार नजरी नक्शा मुताबिक बंटवारा कर अपनी अपनी बाह जोत करते आ रहे है, वादीगण अपना हक हिस्सा खसरा नम्बर 811/89 रकबा 0.1675 हैक्टर में से 0.11166 हैक्टर की सेपरेट होल्डिंग कायम किये जाने का निवेदन किया है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड शपथ–पत्र इत्यादि से होती है। वाद वादीगण डिक्री काबिल पाया गया। अतः निम्न प्रकार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 811/89 रकबा 0.1675 हैक्टर में से 0.11166 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा । शेष खाता बदस्तूर रहेगा।तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 09/01/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी (नागौर)